



लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

सू० न०:- 133 / 2019

तारीखरजू:- 24.10.19

उनवान:- बाबूलाल बनाम सियाराम वगै०

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 188

नांक	फर्द अहकाम
	<p>वादी की और से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 18.11.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">5196-5203 24/10/19</p> <p style="text-align: center;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
11-19	<p>वादी बकील उपस्थित। वादी बकील ने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि इस मुकदमे में कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः कार्यवाही ड्राप कर दया स्वरुप कर दिया जावे। वादी बकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर यह दावा स्वरुप किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नामा से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>

